



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 750]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 2006/आषाढ़ 26, 1928

No. 750]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2006/ASADHA 26, 1928

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2006

का.आ. 1120(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) दो सौ सत्तासीवां संशोधन नियम, 2006 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—
(1) प्रथम अनुसूची में,—
(क) “9क. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय” शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“10. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय”।
(ख) “18. मानव संसाधन विकास मंत्रालय” शीर्षक के अधीन विद्यमान उपशीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात् :-
“(i) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
(ii) उच्चतर शिक्षा विभाग।”
(ग) “22क. महासागर विकास मंत्रालय” विद्यमान शीर्षक का लोप किया जाएगा।
(2) द्वितीय अनुसूची में,—
(क) “मानव संसाधन विकास मंत्रालय” शीर्षक के अधीन विद्यमान उपशीर्षक “क. प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग” और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
“क. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग :
1. प्रारंभिक शिक्षा।
2. बुनियादी शिक्षा।
3. बालभवन, बाल-संग्रहालय।
4. सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा।

5. इस सूची की प्रविष्टियों के संदर्भ में श्रव्य-दृश्य शिक्षा।
6. इस सूची की मदों की बाबत पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन-कागज और अखबारी कागज उद्योग, जिससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबंध है, को छोड़कर)।
7. इस सूची की मदों की बाबत शैक्षिक अनुसंधान।
8. इस सूची की मदों के संदर्भ में प्रकाशन, सूचना और आंकड़े।
9. इस सूची की मदों के संदर्भ में शिक्षकों को प्रशिक्षण।
10. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्।
11. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, पूर्त कार्य व धार्मिक विन्यास।
12. माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन।
13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्।"

(ख) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "ख. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग" उपशीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"ख. उच्चतर शिक्षा विभाग :

1. विश्वविद्यालय शिक्षा; केन्द्रीय विश्वविद्यालय; ग्रामीण उच्चतर शिक्षा; उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा योजना से संबंधित विदेशी सहायता कार्यक्रम।
2. उच्चतर विद्या (विश्वविद्यालय से भिन्न) की संस्थाएं।
3. इस सूची की मदों की बाबत पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन-कागज और अखबारी कागज उद्योग, जिससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबंध है, को छोड़कर)।
4. इस सूची की मदों के संदर्भ में श्रव्य-दृश्य शिक्षा।
5. प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना।
6. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) और प्रतिलिप्यधिकार विषयक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय।
7. शैक्षिक अनुसंधान।
8. प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी।
9. बहुभाषीय शब्दकोषों सहित हिन्दी का विकास और प्रसार।
10. हिन्दी के शिक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देना।
11. संस्कृत का प्रचार और विकास।
12. विस्थापित अध्यापकों और विद्यार्थियों के पुनर्वास की तथा अन्य समस्याएं।
13. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड।
14. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) और यूनेस्को के साथ सहयोगार्थ भारतीय राष्ट्रीय आयोग।
15. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों में विदेशी राष्ट्रों और विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों सहित सभी छात्रवृत्तियों से संबंधित विषय, किन्तु इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अधिसूचना से निकाले गए, यायावर और अर्ध-यायावर जन-जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां तथा साधारण छात्रवृत्ति योजनाएं तथा विभिन्न योजनाओं के अधीन विदेशी विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां नहीं आती हैं।
16. विदेश में भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा और कल्याण; विदेश में भारतीय मिशनरों के शिक्षा विभाग; विदेश में शिक्षा संस्थाओं और भारतीय विद्यार्थी संगमों को वित्तीय सहायता।
17. शिक्षा आदान-प्रदान कार्यक्रम; अध्यापकों, आचार्यों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, आदि का आदान-प्रदान; भारत और विदेशों के बीच विद्योपासकों के आदान-प्रदान का कार्यक्रम।

18. विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को विदेशों में नियुक्तियां स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करना।
 19. भारतीय संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश।
 20. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में पूर्व और पूर्व-संस्थाएं, पूर्व और धार्मिक विन्यास।
 21. विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में उच्चतर गणित, न्यूक्लीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान से भिन्न, तदर्थ वैज्ञानिक अनुसंधान।
 22. विज्ञान मंदिर।
 23. गणित, न्यूक्लीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा से भिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता के बारे में साधारण नीति।
 24. तकनीकी शिक्षा का विस्तार, विकास और समन्वय।
 25. योजना और स्थापत्य स्कूल।
 26. प्रादेशिक मुद्रण स्कूल।
 27. तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य सरकारों की संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं, संघ राज्य क्षेत्रों के वृत्तिक निकायों और तकनीकी संस्थाओं को सहायता अनुदान। बुनियादी विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सहायता अनुदान; शैक्षिक संस्थाओं में उच्चतर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शिक्षा के विकास और अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान; मूल अनुसंधान के लिए व्यष्टियों को अनुदान।
 28. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय डिप्लोमा और राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र पीरक्षाएं संचालित करना भी है।
 29. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं।
 30. भारत सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए वृत्तिक/तकनीकी अर्हता की मान्यता।
 31. राष्ट्रीय अनुसंधान आचार्यवृत्ति और अध्येतावृत्ति।
 32. भारत में वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विदेशी परीक्षा का आयोजन।
 33. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
 34. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।
 35. भारतीय प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द महाविद्यालय, हैदराबाद।
 36. भारतीय खान तथा अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान स्कूल, धनबाद।
 37. खडगपुर, मुम्बई, कानपुर, चैन्नई, दिल्ली, गुवाहटी और रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान।
 38. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
 39. टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई।
 40. भारत में और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह।
 41. आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीमें।
 42. इंजीनियरी वृत्तिक सेवाओं का विनियमन।"
- (ग) "उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियों अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
- "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय"
1. पृथ्वी आयोग और उससे संबंधित सभी विषय।
 - 2.(क) (i) महासागर, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान, समुद्री पर्यावरण, वातावरण और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित नीति, समन्वय और स्कीमों संबंधी ऐसे विषय जो किसी अन्य विभाग या मंत्रालय को विनिर्दिष्ट आबंटित न किए गए हों;

- (ii) अनुसंधान (मूल अनुसंधान सहित) और उससे संबंधित प्रयोगों का विकास;
- (iii) प्रौद्योगिकी विकास;
- (iv) सजीव और निर्जीव समुद्री संसाधनों का मानचित्रांकन करने, उनकी उपलब्धता का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण;
- (v) समुद्री संसाधनों का परिरक्षण, संधारण और संरक्षण;
- (vi) समुचित कौशल और जनशक्ति का विकास;
- (vii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहकारिता ।
2. (ख) उपर्युक्त से संबंधित विधियाँ और विनियामक उपाय ।
3. खुले सागर में समुद्री पर्यावरण ।
 4. पृथ्वी प्रणाली संगठन (ईएसओ) ।
 5. सर्वभारतीय महासागर विज्ञान संगम ।
 6. महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी अधिकरण या बोर्ड ।
 7. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.) ।
 8. राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केन्द्र (एन.सी.ए.ओ.आर.) ।
 9. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.) ।
 10. उष्णकटिबंधीय मौसम-विज्ञान संस्थान।
 11. भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) और भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र ।
 12. राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन. सी. एम. आर. डब्ल्यू. एफ.) ।
- (घ) "महासागर विकास मंत्रालय" विद्यमान शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
- (ङ) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,
- (i) "क" कृषि और सहकारिता विभाग" उपशीर्षक के अधीन प्रविष्टि सं. 46 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
"46क. खाद्य सामग्री का उत्पादन, नर्सरियों का विकास और जैव-ईंधनों के लिए पौधारोपण जिसके अंतर्गत इस संबंध में अन्य मंत्रालयों या विभागों से समन्वय भी है।"
 - (ii) "ख. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग" उपशीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 11 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
"12. जैव-ईंधन संयंत्रों के उत्पादन और सुधार के बारे में अनुसंधान और विकास"
- (च) "उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. उपभोक्ता मामले विभाग" उपशीर्षक के अधीन प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :
"10क. विनिर्देशों, मानकों और छूटों को निर्धारित करना तथा अंततोगोत्वा प्रयोग के लिए जैव-ईंधनों की क्वालिटी नियंत्रण को सुनिश्चित करना।"
- (छ) "विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग" उपशीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों 8(च) और 8(ज) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :
"8(च) किसान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन विषय से संबंधित लागत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों, जिनके अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स तथा इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म भी है;
8(ज) भारतीय सर्वेक्षण और राष्ट्रीय एटलस और थीमैटिक मैपिंग संगठन।"
- (ज) "पर्यावरण और वन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 23 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
"23क. वनों, बंजर भूमियों में जैव-ईंधन पौधारोपण और जैव ईंधनों से संबंधित पर्यावरणयुक्त मुद्दे।"
- (झ) "अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

- “ 11. (i) जैव ईंधनों पर राष्ट्रीय नीति;
- (ii) जैव ईंधनों के परिवहन, अचल और अन्य अनुप्रयोगों संबंधी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन;
- (iii) राष्ट्रीय जैव ईंधन विकास बोर्ड की स्थापना और विद्यमान संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना; और
- (iv) जैव ईंधनों के संबंध में समग्र समन्वय ।
- (ज) “पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “ 5क. (i) जैव ईंधनों का सम्मिश्रण तथा सम्मिश्रण नियतन जिनके अंतर्गत ऐसे सम्मिश्रण के लिए मानक निर्धारित करना भी है; और
- (ii) जैव ईंधनों और इसके सम्मिश्रित उत्पादों का विपणन, संवितरण और खुदरा विक्रय ।”
- (ट) “ग्रामीण विकास मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “ख. भूमि संसाधन विभाग” उपशीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “ 17. (i) राष्ट्रीय जैव-ईंधन मिशन;
- (ii) कृषि मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अधीन जैव-ईंधन पौधों का उत्पादन, प्रसार तथा जैव-ईंधन पौधों का वाणिज्यिक पौधारोपण; और
- (iii) राज्य सरकारों, कृषि मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से जैव-ईंधन पौध उत्पादन के लिए गैर-वन भूमि तथा बंजर भूमियों की पहचान ।”
- (ठ) “विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “क. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग” उपशीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “ 3क. (i) संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ समन्वय से, जैव-ईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण और उपयोजन से संबंधित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अपनी अनुसंधान संस्थाओं या प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास; और
- (ii) मूल्य-वर्धित रसायनों के विकास के लिए उपोत्पादों के प्रयोग संवर्धन के लिए अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप ।”
- (ड) “विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “ग. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग” उपशीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “ 5क. जैव-ईंधन पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जिनमें क्वालिटीयुक्त पौधारोपण सामग्री का उत्पादन और प्रदर्शन, उच्चतर गुणवत्ता वाली क्लोनल नर्सरियों की स्थापना, तेल करैक्टराइजेशन तथा उच्चतर अनुवृद्धि का एक्ससीटू संरक्षण; जत्तरोफा, पौगामिया, मधुका, साल्वाडोरा और मिश्रित तेलों के ट्रेनेस्टरिफिकेशन पर प्रयोगशाला में अध्ययन; उपज और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पादप आनुवंशिकी; बैकल्पिक फीडस्टॉक से जैव प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के माध्यम से बायोइथेनॉल की पुनः प्राप्ति के लिए अनुसंधान और विकास ।”
- (ढ) “कोयला मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 4 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “ 4क. कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी विषय ।”

आ. प. जै. अब्दुल कलाम

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2006-मंत्रि.]

के. एल. शर्मा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2006

S.O. 1120(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two hundred and eighty seventh Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule, —

(A) after the heading “9A. Ministry of Development of North Eastern Region (Uttar Poorvi Kshetra Vikas Mantralaya)”, the following heading shall be inserted, namely :—

“10. Ministry of Earth Sciences (Prithvi Vigyan Mantralaya)”.

(B) under the heading “18. Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)”, for the existing sub-headings, the following sub-headings, shall be substituted, namely :—

“(i) Department of School Education and Literacy
(School Shiksha aur Saksharta Vibhag)

(ii) Department of Higher Education
(Uchchatar Shiksha Vibhag).”

(C) existing heading “22A. Ministry of Ocean Development (Mahasagar Vikas Mantralaya)”, shall be omitted.

(2) in the Second Schedule, —

(A) under the heading “Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)” for the existing sub-heading “A. Department of Elementary Education and Literacy (Prarambhik Shiksha Aur Saksharta Vibhag)”, and the entries relating thereto, the following sub-heading and the entries shall be substituted, namely :—

“A. Department of School Education and Literacy (School Shiksha Aur Saksharta Vibhag) :

1. Elementary Education.
2. Basic Education.
3. Bal Bhavan, Children’s Museum.
4. Social Education and adult education.
5. Audio Visual Education with reference to entries in this list.
6. Books (other than the books with which the Ministry of Information and Broadcasting is concerned) and Book Development (excluding stationery paper and news print industries with which the Ministry of Commerce and Industry is concerned) with respect to the items in the list.
7. Educational Research with respect to items in the list.
8. Publications, information and statistics with reference to the items in the list.
9. Teachers training with reference to the items in the list.
10. National Council for Teacher Education.
11. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.
12. Secondary Education and Vocational Guidance.
13. National Council for Educational Research and Training”.

(B) under the heading “Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)”, for the sub-heading “B. Department of Secondary and Higher Education (Madhyamik Aur Uchchatar Shiksha Bivhag)”, and the entries relating thereto, the following sub-heading and the entries shall be substituted.

namely :—“B. Department of Higher Education (Uchchatar Shiksha Vibhag),

1. University Education; Central Universities; Rural Higher Education, Foreign Aid Programme relating to Higher Education and Technical Education Planning.
2. Institutions of higher learning (other than Universities).
3. Books (other than the books with which the Ministry of Information and Broadcasting is concerned) and Book Development (excluding stationery paper and news print industries with which the Ministry of Commerce and Industry is concerned) with respect to the items in the list.
4. Audio Visual Education with reference to the items in the list.
5. Production of University level text-books in Regional Languages.
6. The Copyright Act, 1957 (14 of 1957) and International Conventions on Copyrights.
7. Educational Research.
8. Publications, Information and Statistics.
9. Development and propagation of Hindi, including multilingual dictionaries.
10. Grant of Financial assistance for the teaching and promotion of Hindi.
11. Propagation and development of Sanskrit.
12. Rehabilitation and other problems relating to displaced teachers and students.
13. Central Advisory Board of Education.
14. UNESCO and Indian National Commission for Cooperation with UNESCO.
15. Matters relating to all scholarships including those offered by foreign countries and foreign agencies in subjects dealt with by the Department but excluding scholarships to students belonging to scheduled castes and scheduled tribes, denotified, nomadic and semi-nomadic tribes and General Scholarships Schemes and scholarships to foreign students under different schemes.
16. Education and Welfare of Indian Students overseas; Education Departments of Indian Missions overseas; Financial assistance to educational institutions and Indian Students Associations abroad.
17. Educational Exchange programmes; exchange of teachers, professors, educationists, scientists, technologists, etc.; programme of exchange of scholars between India and foreign countries.
18. Grant permission to teachers of Universities, colleges and institutions of higher learning to accept assignments abroad.
19. Admission of foreign students in Indian Institutions.
20. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.
21. Adhoc scientific research, other than research in higher mathematics, nuclear science and atomic energy, in universities and educational institutions.
22. Vigyan Mandirs.
23. General Policy regarding partial financial assistance to Scientists going abroad for studies in fields other than mathematics, nuclear science and atomic energy.
24. Expansion, Development and Coordination of Technical Education.
25. School of Planning and Architecture.
26. Regional Schools of Printing.
27. Grants-in-aid to State Government institutions, non-Government institutions, professional bodies and technical institutions of Union Territories for technical education. Grants-in-aid for post-graduate studies in basic sciences, grants-in-aid for development of higher scientific and technological education and research in educational institutions; Grant-in-aid for fundamental research in science and technology; grants to individuals for fundamental research.
28. All India Council for Technical Education including conduct of its National Diploma and National Certificate Examinations.

29. Practical training facilities for students of engineering and technological institutions.
30. Recognition of professional technical qualification for purposes of recruitment to posts under Government of India.
31. National Research Professorships and Fellowships.
32. Holding of Foreign Examination in the fields of professional and technical education in India.
33. University Grants Commission.
34. National Book Trust.
35. Administrative Staff College of India, Hyderabad.
36. Indian School of Mines and Applied Geology, Dhanbad.
37. Indian Institutes of Technology at Kharagpur, Mumbai, Kanpur, Chennai, Delhi, Guwahati and Roorkee.
38. Indian Institute of Science, Bangalore.
39. The Tata Institute of Social Sciences, Mumbai.
40. International Students Houses in India and abroad.
41. Schemes for grant of financial assistance to voluntary organizations for promotion of modern Indian languages.
42. Regulation of Engineering Professional Services.”

(C) after the heading “MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (UTTAR POORVI KSHETRA VIKAS MANTRALAYA)”, and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

“MINISTRY OF EARTH SCIENCES
(PRITHVI VIGYAN MANTRALAYA)

1. Earth Commission and all matters relating thereto.
2. (a) (i) Matters of policy, coordination and schemes relating to the Ocean, meteorology, seismology, marine environment, atmosphere and earth sciences, not specifically allocated to any other Department or Ministry;
 - (ii) research (including fundamental research) and the development of uses relating thereto;
 - (iii) technology development;
 - (iv) surveys to map, locate and assess living and non-living marine resources;
 - (v) preservation, conservation and protection of marine resources;
 - (vi) development of appropriate skills and manpower;
 - (vii) international collaboration and cooperation.
- (b) laws and regulatory measures relating to the above.
3. Marine environment on the high seas.
4. Earth System Organisation (ESO).
5. The Pan Indian Ocean Science Association.
6. Ocean Science and Technology Agency or Board.
7. National Institute of Ocean Technology (NIOT).
8. National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR).
9. Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS).
10. Institute of Tropical Meteorology.
11. Indian Meteorological Department (IMD) and Earthquake Risk Evaluation Centre.
12. National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF).”

(D) existing heading “MINISTRY OF OCEAN DEVELOPMENT (MAHASAGAR VIKAS MANTRALAYA)”, and the entries relating thereto shall be omitted.

(E) under the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)”,

- (i) under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)”, after entry 46, the following entry shall be inserted, namely :—
 “46A. Production of plant material, development of nurseries and plantations for bio-fuels including coordination with other Ministries or Departments in this regard”.
- (ii) under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION (KRISHI ANUSANDHAN AUR SHIKSHA VIBHAG)”, after entry 11, the following entry shall be inserted, namely :—
 “12. Research and Development on production and improvement of bio-fuels plants”.
- (F) under the heading “MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (UPBHOKTA MAMLE, KHADYA AUR SARVAJANIK VITRAN MANTRALAYA)” under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS (UPBHOKTA MAMLE VIBHAG)”, after entry 10, the following entry shall be inserted, namely :—
 “10A. Laying down specifications, standard and codes and ensuring quality control of bio-fuels for and uses”.
- (G) under the heading “MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI VIBHAG)” for the existing entries 8(f) and 8(h) the following entries shall be substituted, namely :—
 “8(f) Autonomous Science and Technology Institutions relating to the subject under the Department of Science and Technology, including Institute of Astro-physics and Institute of Geo-magnetism;
 8(h) The Survey of India and National Atlas and Thematic Mapping Organization”.
- (II) under the heading “MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)”, after entry 23, the following entry shall be inserted namely :—
 “23A. Bio-fuel plantations in forest, wastelands and environmental issues concerning bio-fuels”.
- (I) under the heading “MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (APARAMPARIK OORJA SROTA MANTRALAYA)”, after entry 10, the following entry shall be inserted, namely :—
 “11. (i) National Policy on Bio-fuels;
 (ii) research, development and demonstration on transport, stationary and other applications of bio-fuels;
 (iii) setting up of a National Bio-fuel Development Board and strengthening the existing institutional mechanism; and
 (iv) overall coordination concerning bio-fuels”.
- (J) under the heading “MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS MANTRALAYA)”, after entry 5, the following entry shall be inserted, namely :—
 “5A. (i) Blending and blending prescriptions for bio-fuels including laying down the standards for such blending; and
 (ii) marketing, distribution and retailing of bio-fuels and its blended products”.
- (K) under the heading “MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)”, under sub-heading “B. DEPARTMENT OF LAND RESOURCES (BHUMI SANSADHAN VIBHAG)”, after entry 16, the following entry shall be inserted, namely :—
 “17. (i) National Mission on Bio-fuels;
 (ii) bio-fuel plant production, propagation and commercial plantation of bio-fuel plants under various schemes of the Ministry of Rural Development in consultation with the Ministry of Agriculture and the Ministry of Panchayati Raj; and
 (iii) identification of non-forest land wastelands in consultation with; the State Governments, the Ministry of Agriculture and the Ministry of Panchayati Raj for bio-fuel plant production”.
- (L) under the heading “MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)” under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI VIBHAG)", after entry 3, the following entry shall be inserted, namely :—

- "3A. (i) Research and Development through its research institutions or laboratories for development of indigenous technologies concerning bio-fuel production, processing, standardization and applications, in co-ordination with the concerned Ministry or Department; and
(ii) Research and Development activities to promote utilization of by-products to develop value added chemicals".

(M) under the heading "MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)" under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY (BIOTECHNOLOGY VIBHAG)", after entry 5, the following entry shall be inserted, namely :—

- "5A. Research and Development programme on biodiesel including production and demonstration of quality plantation material, establishment of clonal nurseries of superior accessions, oil characterization and *ex situ* conservation of superior accessions; lab studies on tranesterification of Jatropha, Pongamia, Madhuca, Salvadora and mixed oils; plant genetics for increasing yield and productivity; Research and Development for bioethanol recovery from alternate feed stock through bio-technological interventions".

(N) under the heading "MINISTRY OF COAL (KOYALA MANTRALAYA)", after entry 4, the following entry shall be inserted, namely :—

- "4A. All work related to coal gasification".

A. P. J. ABDUL KALAM
President

[F.No. 1/22/1/2006-Cab.]

K. L. SHARMA, Dy. Secy.